(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
तकाल अपील : 44 / 2023 (11 / 47 / 2023)
तारीख रजू : 15.09.2023 (22.07.2023) निर्णय दिनांक : 14.06.2024

उनवान

1. रामनारायण पुत्र बिशम्भर जाति चमार निवासी वार्ड न0 04 नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 हाल आबाद डी–14, टाइप फोर एन आई एच डब्ल्यु कैम्पस, नियर मुनिरका नई दिल्ली–67.
2. यशवन्त पुत्र बिशम्भर जाति चमार निवासी वार्ड न0 04 नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 हाल आबाद डी–14, टाइप फोर एन आई एच डब्ल्यु कैम्पस, नियर मुनिरका नई दिल्ली–67.

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. सुनिल पुत्र बुधराम, जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. जयसिंह पुत्र रमेशचन्द, जाति चमार निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. अनिल खण्डेलवाल पुत्र किरोडीमल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इंतकाल सं. 1698 दिनांक 28.06.2015 वाके ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

उपस्थित : श्री जीतू नैनावत योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
श्री संतोष कुमार बंसल योग्य अधिवक्ता रेस्पो0सं0 03 की ओर से।

।। निर्णय ।।

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर प्रथम अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 15.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। बाद तलवी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 03 की ओर से अधिवक्तागण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाने पर वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 03 की मौखिक बहस सुनी गई।

पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार है कि विवादित इन्तकाल सं. 1698 दिनांक 28.6.2015 में वर्णित आराजी खसरा नं. हाल 1362 रकबा 55 ऐयर वाके ग्राम दौलततिहंपुरा, तह नीमराना जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सुनिल एक ही परिवार के सदस्य है, तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 02 एवं अन्य सह खातेदारो के मध्य आराजी ख. नं. हाल 1362 रकबा 55 ऐयर, 1371 रकबा 18 ऐयर वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा, तह. नीमराना के बाबत आपस में सलाह एवं सहमती एवं कब्जा काश्त की सहुलियत व पारिवारिक सेटलमेन्ट दिनांक 22.5.2015 को हुआ जिस पारिवारिक समझौता में रेस्पोडेन्ट नं. 4 अनिल

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

खण्डेलवाल ने मध्यस्था निभाई तथा पारिवारिक समझौता इस प्रकार से हुआ की आराजी खसरा नं. 1371 रकबा 18 ऐयर वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तह. नीमराना में अपीलान्ट अपना सम्पुर्ण हिस्सा यानी 1/2 भाग 9 ऐयर रेस्पोडेन्ट सं.2 सुनिल को देना एवं रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा उक्त आराजी व हिस्से के बदले में खसरा नम्बर. 1362 रकबा 55 ऐयर में सें 09 ऐयर अपीलान्ट को देना तय हुआ तथा तय होने पर समझौता पत्र लिखा गया जो समझौता पत्र के जिमन नं. 03 में उक्त शर्तें अंकित है तथा समझौता पत्र को पढ सुनकर सही होने पर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा गवाही गवाहान करवायी एवं नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया तथा पारिवारिक समझौता पत्र की मध्यस्था रेस्पोडेन्ट नं. 04 ने निभायी। जिसमें असल समझौता पत्र रेस्पोडेन्ट सं.04 के पास है। जो असल समझौता पत्र रेस्पोडेन्ट नं. 04 से तलब कर शामिल पत्रावली किया जावें। यह कि पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 22.5.2015 से पुर्व अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपस में मुकदमा बाजी चल रही थी तथा पारिवारिक समझौता होने के पश्चात अपीलान्ट ने उक्त आराजी से स्थगन आदेश हटवा दिया। अपीलान्ट पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 22.5.2015 में वर्णित शतों के अनुसार आराजी खसरा नं. हाल 1362 रकबा 55 ऐयर में से 37 ऐयर रकबा पर वक्त पारिवारिक समझौता पत्र से काबिज चले आ रहे है तथा मौके पर काबिज है। तथा खसरा नं. 1371 रकबा 18 ऐयर में हम अपीलान्ट का 1/2 भाग जो रेस्पोरेन्ट सं. 2 को पारिवारिक समझौता में दिया जिस पर रेस्पोडेन्ट नं. 02 काबिज है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी में से कुछ जमीन भुमी अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा नीमराना बाईपास के लिए अवाप्त करने की विज्ञप्ती समाचार पत्र में दिनांक 10.3.2019 को प्रकाशित की जिसकी सुचना अपीलान्ट को मिलने वालो ने दी जिस पर हम अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड को देखने पर पता चला कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 ने बयनामा दिनांक 4.4.2014 के तथ्यों को छिपाते हुये दिनांक 22.5.2015 को समझौता किया और समझौता होने के पश्चात हम अपीलान्ट ने जमीन से स्थगन आदेश हटवाने के पश्चात रेरपोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 ने समझौता में हम अपीलान्ट को जमीन देने के बावजूद विवादित इन्तकाल दर्ज करवा लिया जो खिलाफ मौका कब्जा, खिलाफ पारिवारिक समझौता दिनांक 22.05.2015 है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने मौके की जांच नही की और ना ही अपीलान्ट से पुछताछ की और समझौता पत्र दिनांक 22.5.2015 का अवलोकन किये बिना विवादित इन्तकाल विधि विरूद्ध दर्ज कर स्वीकृत किया है। विवादित इतकाल सं. 1698 दिनांक 28.6.2015 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा तह. नीमराना जो रेस्पोटेन्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 03 के हक में दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है, क्योकि विवादित इन्तकाल रेस्पोन्ट सं. 1 ने मौके पर बिना कब्जा की जांच किये बिना पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 22.5.2015 का अवलोकन किये विधि विरूद्ध रूप से दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जो 0.3 ऐयर रकबा तक बातिल व बेअसर करार दिया जावें। आराजी खसरा नं. 1362 रकबा 55 ऐयर में अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट नं. 02 द्वारा 09 ऐयर रकबा दिया गया था जिससे अपीलान्ट के हिस्से सहित अपीलान्ट का कुल 37 ऐयर रकबा बनता है जिस पर अपीलान्ट काबिज है। ऐसी स्थिति में विवादित इन्तकाल अपीलान्ट के हक व अधिकारों तक 03 ऐयर रकबा तक प्रभाव शुन्य करार दिया जाये। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित इंतकाल नं. 1698 दिनांक 28.6.2015 वाके ग्राम दौलतसिहंपुरा तह. नीमराना जिला अलवर, हाल जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान जो रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 03 के हक में विधि विरूद्ध एवं पारिवारिक समझौता पत्र दिनांक 22.5.2015 में वर्णित शर्तों एवं कब्जा के विरुद्ध दर्ज कर स्वीकृत किया गया है को अपीलान्ट के हक व अधिकारो तक प्रभाव शुन्य व निरस्त करार दिया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि उक्त अपील इन्तकाल संख्या 1698 दिनांक 28.06.22015 के विरूद्ध पेश की गई है जो इन्तकाल तहसीलदार नीमराणा के द्वारा

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

बयनामा दिनांक 04.04.2014 की पालना में तस्दीक किया गया है जिस बयनामे में अपीलान्ट ना तो क्रेता है ना ही विक्रेता है जिस कारण कानूनन उक्त अपील पेश करने का अधिकार नही है एवं जो समझौता दिनांक पत्र दिनांक 22.05.2015 की प्रतिलिपि पेश की गई है वह बयनामा दिनांक 04.04.2014 के पश्चात का है तथा क्रेता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 जयसिंह के द्वारा कोई समझौता नही है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को उक्त अपील पेश करने का कानूनन कोई अधिकार नही है यदि अधिकार होता तो निश्चित रूप से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त की जाती जो अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी आज तक पेश नही की है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा पेश अपील को भारी हर्जा खर्चा से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षो के अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाने पर जाहिर होता है कि इंतकाल सं0 1698 वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील नीमराणा बयनामा दिनांक 04.04.2014 के आधार पर दिनांक 26.06.2015 को तहसीलदार नीमराणा द्वारा तस्दीक किया गया है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा पेश पारिवारिक समझौता दिनांक 22.05.2015 का है, इससे यह स्पष्ट है कि पारिवारिक समझौते से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के द्वारा भूमि का बेचान कर दिया गया था तथा दिनांक 04.04.2014 के बयनामे में अपीलान्ट ना तो क्रेता है ना ही विक्रेता है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का नामान्तकरण संख्या 1698 से कोई हितबद्ध नही होना जाहिर होता है तथा अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर विधिवत अनुमति प्राप्त नही किये जाने के कारण कानूनन उक्त अपील पेश करने का अधिकार नही होने से अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज होने किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुलै न्यायालय में सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़